

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग ।
कार्यालय - आदेश
=====

कठोरता सं० 129 / ग्रा०वि०, पटना, दिनांक 7/5/07
ग्रा०वि०-स्थायी रा०प०/सूचना-32/2006

उप सचिव [स्थापना-श्री नृपति मंडल, बि०प्र०से०] के स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं०-1808 दिनांक 18.2.2006 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19 के तहत विभाग के लिए नामित लोक सूचना पदाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अभिहीत [] किया जाता है।

2- यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

[] के०पी० सिंह []
सरकार के संयुक्त सचिव ।
25/5/07

ज्ञापक 3889 / ग्रा०वि०, पटना, दिनांक 7/5/07
प्रतिलिपि:- सचिव-सह-निबंधक, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन,

चौथा तल्ला, बिहार, पटना/महानिदेशक, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/स्त्री आयुक्त एवं सचिव/सचिव/स्त्री विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।
25/5/07

ज्ञापक 3889 / ग्रा०वि०, पटना, दिनांक 7/5/07
प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को राज्य से प्रकाशित होने वाले चार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।
25/5/07